पत्र संख्या–11/आ0नी0–II–01/2011 सा0प्र0.......3062

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष।

पटना–15, दिनांक–.......6.3.19..

विषय :– **विभागीय स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–7515 दिनांक–16.06.2017 द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया था।

वर्त्तमान में कतिपय पदाधिकारियों की सेवा निवृति/प्रोन्नति अथवा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त मनोनयन प्रभावित हो गया है। अतः पूर्व के एतद्संबंधी आदेशों को विलोपित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निम्नरूपेण किया जाता है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	प्रतिस्थानी पदाधिकारी का नाम जो स्तम्भ–2 में वर्णित पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में भाग लेंगे।	आबंटित विभाग
1.	श्री रमेश प्रसाद रंजन, अपर सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	श्रीमती ऋचा कमल, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना। मो0–7070523115	1. गृह विभाग। 2. सामान्य प्रशासन विभाग। 3. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। 4. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग। 5. आपदा प्रबंधन विभाग। 6. विधि विभाग। 7. परिवहन विभाग।
2.	श्री रमेश कुमार, संयुक्त सचिव, योजना पर्षद, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	श्री रंजीत कुमार, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। मो0–8084092191	1. राज्यपाल सचिवालय। 2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। 3. संसदीय कार्य विभाग। 4. खान एवं भूतत्व विभाग। 5. वित्त विभाग। 6. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। 7. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
3.	श्री गौतम पासवान, संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना। दूरभाष संख्या–0612–2215231	श्री जगदीश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।	1. ग्रामीण कार्य विभाग। 2. जल संसाधन विभाग। 3. लघु जल संसाधन विभाग। 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। 5. भवन निर्माण विभाग। 6. पथ निर्माण विभाग।
4.	श्री मिनेन्द्र कुमार, कुल सचिव, ललित नारायण मिश्रा, आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, पटना।	श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव (बि0स0से0), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना। मो0–9430002236	1. योजना एवं विकास विभाग। 2. ग्रामीण विकास विभाग। 3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। 4. सूचना प्रावैधिकी विभाग। 5. उद्योग विभाग। 6. नगर विकास एवं आवास विभाग। 7. पंचायती राज विभाग।

5.	श्री प्रभु राम, निदेशक (प्रशासन) –सह–अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना। मो0–8544401032	श्री जनक राम, उप सचिव (बि0स0से0), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना। मो0–9955239496	1. पर्यटन विभाग। 2. गन्ना उद्योग विभाग। 3. पर्यावरण एवं वन विभाग। 4. सहकारिता विभाग। 5. कृषि विभाग। 6. पशु एवं मत्स्य संसाधन। 7. उर्जा विभाग।
6.	श्री विश्वनाथ चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग, बिहार, पटना। मो0–8002433387	श्री रजनीश कुमार, उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। मो0–9470488294	1. स्वास्थ्य विभाग। 2. कला संस्कृति एवं युवा विभाग। 3. शिक्षा विभाग। 4. श्रम संसाधन विभाग। 5. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। 6. वाणिज्य–कर विभाग।
7.	श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकवंदी (मु0), पटना। मो0–9386648184	श्री शिव शंकर दास, उप सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना। मो0–9431929464	1. निगरानी विभाग। 2. निर्वाचन विभाग। 3. समाज कल्याण विभाग। 4. अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। 5. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

मनोनीत सदस्यों को आबंटित विभागों के विरूद्ध राजस्व पर्षद एवं बिहार लोक सेवा आयोग के राजपत्रित/अराजपत्रित बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थिति एवं हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है। विषयांकित कार्य हेतु लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार विधान परिषद् सचिवालय एवं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित बैठकों में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना हेतु मनोनित पदाधिकारी भाग लेंगे।

विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यावली/नियम के साथ वांछित अभिलेख एक सप्ताहांतर्गत निश्चित रूप से संबंधित मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए सीधे पत्राचार कर उनसे सम्पर्क किया जाय।

सामान्य तौर पर मनोनीत पदाधिकारी का सचिवालय स्थित किसी अन्य विभाग/निदेशालय/आयोग/प्राधिकार में स्थानांतरण/प्रोन्नति हो जाने पर भी यह मनोनयन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

मनोनीत सदस्य आरक्षण अधिनियम–3, 1992 के निहित प्रावधानों तथा अन्य संकल्प/परिपत्रों/आदेशों के अनुपालन में कार्य करेंगे। **साथ ही आबंटित विभागों के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर गठित किसी अन्य समिति की बैठक में भी भाग लेने हेतु प्राधिकृत होंगे।**

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 6/3/19
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–II–01/2011 सा0प्र0......3062......**पटना–15, दिनांक**–......6.3.19......
प्रतिलिपि–सभी संबंधित पदाधिकरियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/19
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/DHARMRAJ LETTER--2